

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/एफ-4/12/2019/10-11/ 1147
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24-4-19

कार्यपालन अभियंता,
म0प्र0पू0क्ष0वि0वि0 कम्पनी लिमिटेड,
संभाग पन्ना, मध्यप्रदेश


विषय:- पन्ना जिले के वन मंडल दक्षिण पन्ना के अंतर्गत प्रभावित 21.00 हेक्टेयर वन भूमि 33 के.व्ही. सलेहा से कल्दा विद्युत लाईन निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता, म0प्र0पू0क्ष0वि0वि0 कम्पनी लिमिटेड, संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश को उपयोग हेतु देने बावत्।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त, छतरपुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./2019/385, दिनांक 25.03.2019 इस कार्यालय को संबोधित एवं आपको पृष्ठांकित।

-0-

विषयांकित प्रकरण में प्रस्तावित विद्युत लाईन हेतु आपके द्वारा 4 मीटर की चौड़ाई ली गई है जबकि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 33 के.व्ही. विद्युत लाईन हेतु 15 मीटर की पट्टी ली जाना है।

अतः प्रस्ताव में KML file 15 मीटर की पट्टी की तैयार कर अपलोड करें तथा इसे वनमण्डलाधिकारी को अग्रेषित करें।



(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-4/12/2019/10-11/ 1148
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24-4-19

1. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त, छतरपुर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. वन मंडलाधिकारी, (सामान्य) वन मंडल, दक्षिण पन्ना, मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित कर लेख है कि 15 मीटर चौड़ी पट्टी में प्रभावित हो रहे वृक्षों की गणना कराकर जानकारी इस कार्यालय को शीघ्र भेजें।


(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल